न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00156

कैलाश चन्द शर्मा आयु 65 वर्ष पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चेचट हाल निवासी मालियों का मोहल्ला सरकारी अस्पताल के पास, बाफना पेट्रोल पम्प के पीछे पूर्णिमा कॉलोनी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. बालाराम माली आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासी अहीरों का मोहल्ला रामद्वारा चौराहा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. मोहन लाल माली आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासी रामद्वारा चौराहा चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. लक्ष्मण माली आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासी अहीरों का मोहल्ला रामद्वारा चौराहा ग्राम चेचट तसहील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. अक्ष्य गौतम पुत्र श्री बजरंग लाल जाति ब्राह्मण सरपंच साहब ग्राम पचांयत खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विरेन्द्र कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 08.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण कें तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 1031/856 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर ट्यूबवैल नया ही लगा हुआ है । इसी जमीन से लगी हुई अप्रार्थी क्रम 01 प्रार्थी के सगे भाई सत्यनारायण की आराजी खसरा नम्बर 1032/856 रकबा 0.97 हैक्टर स्थित है । आज से लगभग 02–03 वर्ष पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के मध्य शामलाती खाते की भूमि थी जिसका सहमति से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 के मध्य बंटवारा हुआ । बंटवारे के समय प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के मध्य यह तय हुआ था कि प्रार्थी की दक्षिणी व अप्रार्थी की उत्तरी मेड के दोनों कोनो में अर्थात् प्रार्थी की भूमि की दक्षिणी मेड से चार फुट व अप्रार्थी क्रम 01 की भूमि से 04 फुट अर्थात् दोनों की चार–चार फुट भूमि मिलाकर आठ फुट का रास्ता रहेगा जो दोनों भाईयों व अन्य खेत जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 के बिल्कुल नजदीकी एक दो पडौसी हैं वे भी पूर्ण सुरक्षा रखते हुए निकलेंगे । अप्रार्थी क्रम 01 ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर चार फुट भूमि अपने खेत में मिला कर व कुछ भूमि पर जेसीबी मशीन से खाई खोद दी तथा उक्त रास्ते की चार फुट भूमि पर आने–जाने का रास्ता बन्द कर दिया जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ दर्ज करायी । अप्रार्थी क्रम 01 ने पुनः प्रार्थी के खसरा नम्बर 856/1031 व अप्रार्थी के खसरा नम्बर 856/1032 की निजी खाते की भूमि पर छोडा गया था उक्त छोडे गये रास्ते प्रार्थी की खसरा नम्बर 847/1029 व अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 847/1030 पर ट्रेक्टर के आने–जाने के रास्ते की भूमि पर खाई खोदकर पूर्ण रूपेण रास्ता अवरूद्ध कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम 02 लगायत 4 अन्य पडोसियों की भूमि से आते–जाते रहे । इस बाबत् प्रार्थी ने नायब तहसीलदार चेचट के यहॉ शिकायत की जिस पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे जिस पर मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अप्रार्थी क्रम 01 के खेत में होकर रास्ते के निशानात साफ दृष्टि गोचर हो रहे हैं और अप्रार्थी क्रम 01 ने मौके पर नायब तसहीलदार को कहा कि रास्ता नहीं खोलूगां । अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 05 से मिलकर प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कर दिया जबकि प्रार्थी को मोके पर व पंचायत ने आने का कोई नोटिस या सूचना नहीं दी और न ही प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया । अप्रार्थी क्रम 05 ने पंचायत एक्ट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से परे जाकर एक तरफा अधिकार विहिन आदेश दिया है जो प्रार्थी के विरूद्ध प्रभावहीन है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 दौराने वाद प्रार्थी के खेत में होकर किसी भी बिन्दु से किसी भी जगसे खसरा नम्बर 1031/856 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में से नहीं निकले न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम पंचायत के निर्णय की सीमा के बाहर की आराजी के लिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व नक्शा, मौका रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड व वास्तविकता से परे जोकर उक्त

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वर्ष 2008 के पश्चात् ग्राम पंचायत को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य दक्षिणी व उत्तरी मेढ पर 4–4 फुट रास्ता हेतु सहमति हुई थी जिसके आधार पर रास्ता कायम किया हुआ था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर मात्र अपीलान्ट के खेत में से 12 फुट रास्ता कायम करने हेतु आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अप़ीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1031/856 रकबा 0.97 हैक्टर ग्राम खेडली, तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1032/856 रकबा 0.97 हैक्टर आराजी इससे लगवा स्थित है । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट की आराजी में आपसी सहमति से जब विभाजन हुआ था तब यह तय हुआ था कि अपीलान्ट के दक्षिणी कोने एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के उत्तरी कोने में 4–4 फुट कुल 08 फुट भूमि को रास्ते के रूप में कायम किया गया जिसके आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की उक्त आराजी में रास्ता कायम हुआ परन्तु रेस्पोडेन्ट ने 04 फुट आराजी में गढ्डे खुदवाकर रास्ता बन्द कर दिया और वास्तविक तथ्यों को छुपाकर ग्राम पंचायत से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता कायम करवा लिया जबकि ग्राम पंचायत को रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है । धारा 251 (ए) के तहत उपखण्ड अधिकारी ही रास्ता कायम कर सकते हैं । चूँकि ग्राम पंचायत का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण abinitio है । अतः अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था और यह प्रार्थना की थी कि रास्ते के आदेश को प्रभावशून्य घोषित किया जावे । उक्त वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णित किया है '। अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत, लिखित बहस का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । सन् 2008 के पश्चात् ग्राम पंचायत को 251 के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उनके ये अधिकार समाप्त हो चुके हैं । रिपोर्ट दिनांक 16.07.2019 पर गौर नहीं किया है । रिपोर्ट दिनांक 24.10.2019 में भी 08 फिट चौडे रास्ते से ट्रेक्टर के आने जाने के निशान और खाई खोदकर रास्ता अवरूद्ध करने का जिक्र है परन्तु उसको भी नजर अन्दाज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 अपास्त किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2018 पेज 92 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो रास्ते का खुलासा किया गया है उस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट जिला कलक्टर के समक्ष अपील पेश कर सकते हैं । ग्राम पंचायत के आदेश के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में नया दावा

प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । उपखण्ड अधिकारी को रास्ते के विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है । धारा 251 के तहत जो प्रकरण होता है उसका क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत/ तहसीलदार या सिविल न्यायालय को होता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (2) आरआरटी पेज 801, आरआरटी 2013 (2) पेज 820, आरआरटी 2011 (2) पेज 801, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 206 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 ग्राम खेडली संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1031/856 की रकबा 0.97 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 ग्राम खेडली संलग्न है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1032/856 सत्यनारायण पुत्र बद्री लाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नक्शा ट्रेस पेश की गई है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1029/847 रकबा 0.82 हैक्टर अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 के अनुसार खसरा नम्बर 1030/847 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि सत्यनारायण पुत्र बद्री लाल के खाते में दर्ज है । दिनांक 17.06.2019 की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2019 की मौका रिपोर्ट कैलाश चन्द के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2020 पत्रावली पर संलग्न किये गये हैं । साथ ही ग्राम पंचायत खेडली के आदेश की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलान्ट को 12 फिट रास्ता छोडने का आदेश दिया है ।

10. अपीलान्ट का यह कथन है कि ग्राम पंचायत का यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर का है क्योंकि ग्राम पंचायत को रास्ता कायम करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । धारा 251 के तहत भी क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2018 पेज 92 उद्धरत की है । हम विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर के आधार पर यह मानते हुए कि यदि ग्राम पंचायत को धारा 251 के तहत रास्ते के बाबत् आदेश देने का अधिकार नहीं है और ग्राम पंचायत का यह आदेश यदि क्षेत्राधिकार के बाहर है तो भी उन्हें इस आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए न कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया दावा । तद्नुसार अपीलान्ट के द्वारा नये दावे के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश पेश किया है उसको अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट ग्राम पचांयत के आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा